पत्र संख्या–प्र0प्र0–13/2004............................/रा0

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक...........................

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के मांग संख्या–04 के बजट शीर्ष–"2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–राज्य योजना–090–सचिवालय–0101–राजभाषा–" के विषय शीर्ष–"26 01–विज्ञापन और प्रकाशन" के अधीन उपबंधित कुल 48.21 लाख रूपये (अड़तालीस लाख इक्कीस हजार रूपये) में से राजभाषा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन के लिए कर्णांकित राशि 7.00 लाख रूपये (सात लाख रूपये) के तहत राजभाषा पत्रिका (वर्ष–26 अप्रैल–जून, 2012) के मुद्रण व्यय विपत्र की कुल राशि ₹54600/– (चौवन हजार छः सौ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पुस्तकों, राजभाषा की पत्रिकाओं एवं अन्य साहित्य के प्रकाशनार्थ वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 54600/– (चौवन हजार छः सौ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

3. प्रस्तुत व्यय मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की वार्षिक योजना 2012–13 के मांग संख्या–04 के बजट शीर्ष–"2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएँ–राज्य योजना–090– सचिवालय–0101–राजभाषा" के अधीन विषय शीर्ष "26 01 विज्ञापन औरं प्रकाशन" में यथाउपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इसका विपत्र कोड संख्या–P2052000900101 है।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्र संख्या–422/वि0, दिनांक 31.03.12 के अधीन कर्णांकित उद्व्यय के अंतर्गत है।

6. यह राज्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–5685 वि0 (2), दिनांक 08.10.05 एवं संकल्प संख्या–3828 (वि0), दिनांक 12.06.06 में विहित प्रावधान के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

7. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, राजभाषा होंगे।

8. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि0(2), दिनांक–05.07.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– प्र0प्र0–13/2004/................................../रा0, पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– प्र0प्र0–13/2004/...............71.........../रा0, पटना, दिनांक 14.12.12
प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/लेखा प्रशाखा (तीन प्रतियों में)/बजट प्रशाखा/योजना प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है। संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय कोषांग/आई टी, मैनेजर मंत्रिमंडल सचिवालय को Web page पर upload हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव

E:\BLACK COM BACKUP\Ratish- Pankaj\Panday\Pra-Pra-13-2004 (05.12.12).doc